(4)

प्रकरण संख्या : 64/2022
प्रभाती देवी बनाम मांगीलाल वगै.
निर्णय दिनांक : 26.12.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गोरा, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	64/2022
दायर दिनांक	:	24.11.2022
निर्णय दिनांक	:	26.12.2023

उनवान

1. प्रभाती देवी पत्नी डालचन्द जाति कोली, निवासी पीलू वाले बालाजी के पास देवरा मौहल्ला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र गंगाबिशन जाति बैरवा, निवासी ढाणी बरखेडा तन भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा
2. हरगोविन्द पुत्र नाथूराम जाति गुर्जर, निवासी पाडली कलां (आगलारामा) तहसील दौसा जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पडौसी खातेदार हैं एवं तहसील दौसा जिला दौसा के निवासी हैं। अप्रार्थी संख्या 3 आवश्यक पक्षकार राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर होने के फलस्वरूप पक्षकार बनाया गया है। आराजी खसरा नम्बर 236, 271, 273, 274, 275 कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.71 है. बारानी अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थिया का उक्त भूमि में 1/2-1/2 हिस्से के खातेदार हैं। जो वाके ग्राम जैयपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वर्णित आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार हैं। मौके पर प्रार्थिया काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होती चली आ रही है। जिसमें अन्य किसी का कोई संबंध व वास्ता नहीं है। प्रार्थिया उक्त आराजी वादग्रस्त भूमि के पास अप्रार्थी संख्या 2 के लगयी हुयी सीमा के पास ही भूमि है एवं अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थिया के मध्य आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थिया ने सीमाज्ञान की कार्यवाही को लेकर पूर्व में भी श्रीमान् तहसीलदार दौसा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर दिनांक 21.06.2022 को हल्का पटवारी जौपाडा द्वारा मौका रिपोर्ट बनायी गयी। दिनांक 21.06.2022 को हुए सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट में की गयी कार्यवाही की प्रक्रिया का कोई निस्तारण नहीं हो सका। अप्रार्थी संख्या 2 झगडालू किस्म का व्यक्ति है एवं संख्या बल के आधार पर प्रार्थिया की जमीन को हडपना चाहता है एवं मौके झगडे की सूरत पैदा कर रखी है। ऐसी सूरत में प्रार्थिया की भूमि का सीमाज्ञान किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए उक्त भूमि का सीमाज्ञान मय पुलिस इमदाद करवाया जाना अति आवश्यक हो गया है। यदि अविलम्ब सीमाज्ञान कर पत्थरगढी नहीं की जाती है तो मौके पर अशांति भंग होकर झगडे उत्पन्न होने की नौबत आ जावेगी। इसलिए प्रार्थिया की भूमि में पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 को आदेश फरमाया जावे कि वाके ग्राम जैयपुरा में स्थित खसरा नम्बर 236, 271, 273, 274, 275 कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.71 है. उपखण्ड अधिकारी

दौसा (राज.)

है, तहसीलदार दौसा को आदेश फरमाये जावें कि वो राजस्व टीम गठित कर मय पुलिस इमदाद प्रार्थिया की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण, एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया।

प्रकरण में उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाने का कथन किया। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 ने पत्थरगढी किये जाने में अपनी सहमति जतायी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम जैयपुरा तहसील दौसा जिला दौसा स्थित खसरा नम्बर 236, 271, 273, 274, 275 कुल किता 5 कुल रकबा 2.71 है० के हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 ने पत्थरगढी किये जाने में अपनी सहमति जतायी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो, तो ग्राम जैयपुरा तहसील दौसा जिला दौसा स्थित खसरा नम्बर 236, 271, 273, 274, 275 कुल किता 5 कुल रकबा 2.71 है० का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)